

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री मुकेश मल्होत्रा पुत्र श्री हरिराम 14, रिद्धि सिद्धि पहला, 2 एमएल(ओजी), पार्ट, जिला श्रीगंगानगर व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मुकेश मल्होत्रा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मुकेश मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मुकेश मल्होत्रा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मुकेश मल्होत्रा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मुकेश मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल ढिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


दिनांक: 20-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मुकेश मल्होत्रा पुत्र श्री हरिराम 14, रिद्धि सिद्धि पहला, 2 एमएल(ओजी), पार्ट, जिला श्रीगंगानगर

(इजिस्ट्र-पत्र)


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह वार्ड न.21, गुरुनानक नगर, संगरिया जिला हनुमानगढ़ व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मोहन सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मोहन सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मोहन सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिडेल)

आईएस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 20-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह वार्ड न.21, गुरुनानक नगर, संगरिया जिला हनुमानगढ़

(रजिस्ट्रि-पह)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्वेता चौधरी पुत्री श्री महीपाल सिंह गली न. 9, नई आबादी, जिला हनुमानगढ़ व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थितीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्वेता चौधरी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थितीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्वेता चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्वेता चौधरी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थितीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्वेता चौधरी द्वारा की गई मांग वेतन स्थितीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्वेता चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिल्ले)
आईएएस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 20-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्वेता चौधरी पुत्री श्री महीपाल सिंह गली न. 9, नई आबादी, जिला हनुमानगढ़

(रजिस्टर्ड-पत्र)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती निर्मला कुमारी पत्नी श्री रूपेन्द्र कुमार गली न. 4, नई आबादी, वार्ड न. 24, जिला हनुमानगढ़ व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे है। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती निर्मला कुमारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 20-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती निर्मला कुमारी पत्नी श्री रूपेन्द्र कुमार गली न. 4, नई आबादी, वार्ड न. 24, जिला हनुमानगढ़

(रजिस्ट्र. पत्र)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, भभूता सिद्ध कालोनी, वार्ड न 23, जिला हनुमानगढ़ व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती गोमती देवी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती गोमती देवी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थीयों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती गोमती देवी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती गोमती देवी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती गोमती देवी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिंडेल)

आईएएन

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


दिनांक: 20-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, भभूता सिद्ध कालोनी, वार्ड न 23, जिला हनुमानगढ़

(रजिस्ट्री-पठ)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री चिरंजी लाल पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश मेहताब कालोनी, वार्ड न 5, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री चिरंजी लाल पारीक द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री चिरंजी लाल पारीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री चिरंजी लाल पारीक के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री चिरंजी लाल पारीक द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री चिरंजी लाल पारीक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(निधमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 20-2-18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जंय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री चिरंजी लाल पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाश मेहताब कालोनी, वार्ड न 5, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर

(रजिस्ट्रार-पठ)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री अमरजीत सिंह लहर पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह 14 सिद्धार्थ नगर, 5 ई छोटी, जिला श्रीगंगानगर व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह लहर द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह लहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह लहर के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह लहर द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री अमरजीत सिंह लहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिल्ल) (N. M. Dhillon)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक: 20-2-18

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोक/या1019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री अमरजीत सिंह लहर पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह 14 सिद्धार्थ नगर, 5 ई छोटी, जिला श्रीगंगानगर

(रजिस्ट्रार पत्र)


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री ओम प्रकाश विश्नोई पुत्र श्री भागीरथ राम विश्नोई आनंदियां की ढाणी, मानकी, जिला बाडमेर व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे है। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश विश्नोई के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश विश्नोई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएएन

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 20-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री ओम प्रकाश विश्नोई पुत्र श्री भागीरथ राम विश्नोई आनंदियां की ढाणी, मानकी, जिला बाडमेर

(नजिस्ट-पत्र)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा वार्ड न 6, पिलानी, जिला झुंझून् व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती सुशीला शर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती सुशीला शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थियों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती सुशीला शर्मा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती सुशीला शर्मा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती सुशीला शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 20-2-18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा वार्ड न 6, पिलानी, जिला झुंझून्

(रजिस्ट्र-५४)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री बोगाराम, ग्राम पो0 बोलनवाली, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ व अन्य 39 ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिबे निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री कृष्ण लाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री कृष्ण लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में पक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थीयों को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 01/10/2014 एवं 28/05/2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री कृष्ण लाल के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री कृष्ण लाल द्वारा की गई मांग वेतन स्थिक्करण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री कृष्ण लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिडेल)


आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 20-2-18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री बोगाराम, ग्राम पो0 बोलनवाली, संगरिया, जिला हनुमानगढ़

(रिप्लाइ-पर)


संचुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर